U;k;ky; Hkkipu/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkuj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 61@2016

1. भंवराराम पुत्र स्व0 अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1.पांचू देवी पत्नी सुखाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
2.सोहनराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
3.सुखाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
4.नेमाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
5.अणदाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
6.फूसाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
7.मोहनराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।
8.मृतक माली देवी
8/1 उदाराम पुत्र मालीदेवी पुत्री धनाराम पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर ।
8/2 रामनिवास पुत्र मालीदेवी पुत्री धनाराम पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर ।
8/3 भंवरी पुत्री स्व0 माली देवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर ।
8/4 चंदा पुत्री स्व0 माली देवी पत्नी छोटुराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर ।
8/5 प्रेमी देवी पत्नी स्व0 हरीराम पुत्र मालीदेवी जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर ।

8/6 भागीरथ स्व0 हरीराम पुत्र मालीदेवी जाति मेघवाल
निवासी धोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर ।

9. दुलाराम पुत्र मांगूराम जाति नायक निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ।

jLikM.Vl

11. नौरतनराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेधववाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

12. मूली पुत्री अर्जुनराम जाति मेधववाल निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

mifLFkr%& 1. श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता अपीलांट्

2.श्री बहादुरराम सुथार अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh lqtkux< ds fu.kZ; o fMØh fnukad 13-05-2016 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः–15.07.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 683 तादादी 16.12 बीघा, ख0न0 380 तादादी 26.08 बीघा वाके रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ में स्थित है । उक्त वादगत भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है । रेस्पो0/वादी द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन बाबत एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बगैर रेकार्ड की जांच किये प्राथमिक डिक्री हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सुजानगढ से मंगवाया गया है के विरूद्व यह अपील की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 683 तादादी 16.12 बीघा, ख0न0 380 तादादी 26.08 बीघा वाके रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ में स्थित है । उक्त वादगत भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी एवम संयुक्त कब्जे

काश्त की कृषि भूमि है । किसी भी पक्षकार का कोई विशेष भाग की भूमि पर कब्जा काश्त नही है । जिसकी जानकारी रेस्पो0/वादीगण को होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय में अपना विशेष हिस्सा भूमि का बताते हुऐ विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जो बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है जो निरस्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये तथा बिना प्रतिवादीगणो पर विधिवत तामील करवाये, प्रतिवादीगणो पर तामील मानते हुए उनके खिलाफ दिनांक 28.03.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । जो निरस्त योग्य है । रेस्पो/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा प्रस्तुत किया गया जो मृत व्यक्यिो के खिलाफ प्रस्तुत किया गया । रेस्पो0 सं0 8 माली देवी की मृत्यु दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा अपीलांट के पिता प्रतिवादी सं0 2 अर्जूनराम का स्वर्गवास दोराने दावा दिनांक 22.05.16 को हो चुका था । इसकी जानकारी रेस्पो0/वादी को होते हुऐ भी उनके द्वारा मृतक के उतराधिकारी को पक्षकार नही बनाया गया जो दावा निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के खिलाफ जारी होने के कारण विधि के सिद्वांतो के विरूद्व है । दावे में पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सूचना 90 दिवस में पेश की जानी चाहिये थी । जो नही होने के कारण दावा अबेट हो चुका था । परन्तु फिर भी रेस्पो0/वादी द्वारा जानबुझकर आपस में सांठगांठ कर अपीलांट को नुकशान पहुंचाने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट ही नही किया ओर निर्णय व डिक्री एकपक्षीय प्राप्त कर कानून विरूद्व कार्य किया गया है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2016 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 683 तादादी 16.12 बीघा, ख0न0 380 तादादी 26.08 बीघा वाके रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ में स्थित है । उक्त वादगत भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है । जिसमें रेस्पो0/वादी सं0 1 पांचू देवी का 100वां हिस्सा यानि 5 बीघा व वादी सं0 2 सोहनराम का 129 वा हिस्सा यानि 6.09 बीघा खातेदारी का है । रेस्पो0/वादीनी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 सूखाराम से जरिये गिफट डिड प्राप्त किया हुआ है । रेस्पो0/वादी सं0 2 सोहनराम को विरासतन प्राप्त है । गिफट डिड शुद्वा भूमि पर रेस्पो0/वादी सं0 1 पांचू देवी काबिज चली आ रही है । वादीगणो व प्रतिवादीगणों के द्वारा अपने अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कर रखा है । जिसके अनुसार ख0न0 683 तादादी 16.12 बीघा में से दक्षिणी पश्चिकी कोणे में से 1.5 बीघा यानि 30 वां हिस्सा व ख0न0 380 में 99 वा हिस्सा भूमि रेस्पो0/वादी सं0 2 सोहनराम के हिस्से पांती में आई हुई है । जिस पर वह काबिज है । वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर रेस्पो0/वादी सरकारी लाभ प्राप्त करने में असुविधा हो रही है जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विभाजन का प्रस्तुत किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारो को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 7,8 बावजुद सम्मन तामिल के उपस्थित नही आये । प्रतिवादी सं0 4 व 6 की ओर से वकिल उपस्थित हुए परन्तु कोई जवाब दावा प्रस्तत नही किया । अधीनस्थ न्यायालय

के द्वारा दावे के समर्थन में वादीनी व वादी सं0 2 के बयान करवाये गये व दस्तावेज सबुत भी प्रस्तुत किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत रूप से बहस करवाई जाकर व साक्ष्य सबुत लिये जाकर तहसीलदार सुजानगढ को वादगत भूमि के खातेदारी विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया जो न्यायसंगत व विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2016 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलांट/प्रतिवादीगणो पर विधिवत तामील नही करवाये गये । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तामील कुनिन्दा द्वारा तामील नही करवाये जाने पर सम्मनो को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाकर तामिल करवाये जाने चाहिये थे या अखबार में साया करवाया जाना चाहिये था । रेस्पो0/वादीगणो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जब दावा पेश किया गया उससे पूर्व ही रेस्पो0 सं0 8 माली देवी का स्वर्गवास हो चुका था । रेस्पो0/वादी द्वारा अपने दावे में माली देवी के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था जो नही बनाये गये । अपीलांट/प्रतिवादी के पिता अर्जूनराम का देहान्त दोराने दावा हो चुका था जिसकी सूचना रेस्पो0/वादी के द्वारा निर्धारित समय में न्यायालय में पेश की जाकर कायम मुकाम करवाया जाना चाहिये था जो नही करवाया गया । इस तरह से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृत व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय पारित किया गया जो कानूनी दृष्टि से न्यायसंगत प्रतित नही होता है ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवम माननीय राजस्व मण्डल के परिपत्र 18 से 21 के अनुसरण में नियमानुसार तहसीलदार को मौके पर भेजकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर प्रक्रियानुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई साक्ष्य सबुत के उपरांत प्रत्येक सहखातेदारों के हिस्से को मध्य नजर रखते हुऐ बाई मिटस एण्ड बाउण्डस को दृष्टिगत करते हुऐ एवम दावे में मृतक पक्षकार के जाईन्दा वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर निर्णय दो माह में पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 15.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkk iz cU/k vf/kdkjh ,oa
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj